

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

क्र.सं.

फर्द अहकाम

मु०न० 22/18 तारीख रजु - 21-5-18


उत्तर:- बीरबाई बाम कुट्टन साव का०

21-5-18

प्रार्थना पत्र अस्थाई निवेधाना

प्रार्थीया की डॉर से श्री राजकुमार सिंह राजावत एडवोकेट ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निवेधाना अर्थात् धारा R.T. Act 212 प्रस्तुत किया प्रार्थना पत्र के साथ जमावकी शपथपत्र का अडवोकेट किया गया प्रार्थी पक्ष की अंतरिम अस्थाई निवेधाना के विरुद्ध पर बहस की सुनी गई। प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीया के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थी गण को अंतरिम अस्थाई निवेधाना से आगामी नियत तिथि तक पाबंद किया जाता है। डि ग्राम खेडी स्थित भूमि खसरा नम्बर 2842 रकबा 0.31 हे० में सायला के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का विघ्न न करे। जबरन कब्जा न करे। रिकार्ड एवं मौके की स्थित बचाव बनाए रखे। प्रार्थना पत्र अस्थाई निवेधाना दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी गण को नोटिस जारी कर तलब करे। पत्रावकी दिनांक 11-6-18 को पेश हो।

18/5-19
23-5-18


उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

11-6-18

प्रार्थीया वकील उप०। अप्रार्थी गण के नोटिस विधिवत तामील नहीं हुए हैं पुनः तालवान पत्रावकी तलबी को पेश दि० 16.7.18 को पेश हो।

16.7.18

प्रार्थीया वकील उप०। प.०.सा० बाहर पधारे की गता-नुसार दिनांक 13.8.18 को पेश हो।



न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

| क्र | फर्द अहकाम |
|---------|---|
| 15.5.19 | <p>वकूलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी - धुनाय ट्रेनिंग में जमपुर पधार है। अतः पत्रावली गताकुसार दिनांक 20.6.19 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">श्री 152</p> |
| 20.6.19 | <p>वकूलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी करौली पधार है। अतः पत्रावली गताकुसार दिनांक 22.7.19 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">श्री 152</p> |
| 2.7.19 | <p>वकूलाय उप.। जबाब पेश कले सत्रय चाहा। सुनक एक मोका दिया जाता है। जबाब पेश कले दिनांक 22-8-19 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">श्री 152</p> |
| 2.8.19 | <p>प्राधी वकील उपस्थित। अप्राधी वकील उपस्थित नहीं है, कई बार आवाज दिलवाई गई फिर भी अप्राधी वकील एवं अप्राधीगण के उपस्थित नहीं होने से उनके पिकड एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। प्राधी वकील ने बहस करते हुए कथन किया कि दिनांक 21.5.18 को जारी की गई अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को दावा के फैसला हेतु तक कन्फर्म कर दिया जावे। प्राधी वकील की बहस पर मन्त किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दिनांक 21.5.18 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को तादावा फैसला कन्फर्म किया जाना उचित पाता हूँ। अतः दिनांक 21.5.18 को जारी की गई अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को दावा के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है। अप्राधीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से बाबन्द किया जाता है कि ग्राम रेकी की श्रमि खसरा नम्बर 2842 रकबा 0.31 है। में सापला के कठजे काश्त में विधन न करे। रिमाई एवं ग्रीके की यथास्थिति ब्योप रेबें। पत्रावली फैसल श्रुमार होकर नम्बर से कम होकर दावा पत्रावली के साथ संलग्न रहे।</p> <p style="text-align: right;">(दुर्गा प्रसाद शर्मा) उपजिला कलक्टर टोडाभीम (करौली)</p> |